

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांक:आर-7 / जे0डी0 / लखनऊ-16(जीएन)/24

दिनांक: मार्च 18 2016,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-06
गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स सैलेरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा पार्सल न0 एस0सी0-01/सी0,ए02,ए04,ए06,ए11 एवं ए12, (स्पोर्ट सिटी) सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग (ए0टी0एस0 प्रिसटाइन गोल्फ विलाज) भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/19887/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4753/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 16-03-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्रश्नगत भवन का पार्सल एरिया-1,29,701.810 वर्ग मी0 है। जिनका टावर वाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
01	टावर न0-01 (टाइप-ए)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	693.189	448.086	96.65
02	टावर न0-02 (टाइप-ए)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	693.189	448.086	96.65
03	टावर न0-03(टाइप-बी)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	526.429	320.495	96.65
04	टावर न0-04(टाइप-बी)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	526.429	320.495	96.65
05	टावर न0-05(टाइप-ए)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	693.189	448.086	96.65
06	टावर न0-06(टाइप-ए)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	693.189	448.086	96.65
07	टावर न0-07(टाइप-बी)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	526.429	320.495	96.65
08	टावर न0-08(टाइप-बी)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	526.429	320.495	96.65
09	टावर न0-09(टाइप-बी)	02बेस0,+भूतल+28+पी0एच0	526.429	320.495	96.65
10	विलाज न0(10-15, 30-46, 59-82, एवं 105-114)	बेस0,+भूतल+02	14672.784 समस्त	12589.626 / 11799.819समस्त	11.250
11	विलाज न0(47-55)	बेस0,+भूतल+02	2389.356 समस्त	2007.168 / 1914.902 समस्त	11.250
12	विलाज न0(89-104)	बेस0,+भूतल+02	3038.496 समस्त	2354.280 / 2464.237 समस्त	11.250
13	विलाज न0(01-09, 16-29, 56-58, एवं आर-01)	बेस0,+भूतल+02	5157.810 समस्त	3979.865 / 4230.475 समस्त	11.250
14	विलाज-83	बेस0,+भूतल+02	220.707	195.325 / 173.053	11.250
15	विलाज-84	बेस0,+भूतल+02	298.546	167.070 / 147.950	11.250
16	विलाज-85	बेस0,+भूतल+02	257.245	189.136 / 166.785	11.250
17	विलाज-86	बेस0,+भूतल+02	191.388	198.337 / 177.189	11.250
18	विलाज-87	बेस0,+भूतल+02	226.507	200.071 / 178.923	11.250
19	विलाज-88	बेस0,+भूतल+02	266.860	200.071 / 178.923	11.250
20	कम्प्यूनिटी हॉल, लाईब्रेरी, एवं गोल्फ क्लब	बेस0,+भूतल	545.756	522.626	04.05
21	कम्प्यूनिटी हॉल, एवं लाईब्रेरी,	बेस0,+भूतल	1560.000	135.000	04.05
22	लोवर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-7459.757 वर्ग मी0।				
23	अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-82814.534 वर्ग मी0।				

(मि0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक फा0 स0
30 प्र0 लखनऊ

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
ढांचागत व्यवस्था:-

1- **पहुँच मार्ग:-** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में इन्टरनल रोड की चौड़ाई 20 मी0 एवं दोनों ओर 12-12 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2- **सैटबेक:-** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त 45 टन भार क्षमता का खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- **निकास मार्ग:-** प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 व 01.25 मी0 प्रस्तावित है। तथा बेसमेंट में 02 रैम्प प्रस्तावित है जिनकी निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

4- **रिफ्यूज एरिया:-** भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ- **अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-** एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1- **भूमिगत:-** प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2- **पम्पस:-** भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प सहित 02 पम्प सैट मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

3- **टेरिस टैंक:-** प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, एवं कम्यूनिटी एवं कामर्शियल 10,000 दस हजार ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4- **होजरील:-** प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5- **डाउनकामर:-** प्रस्तावित भवन कम्यूनिटी एवं कामर्शियल डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6- **वेटराईजर:-** प्रस्तावित भवन में वेटराईजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7- **यार्ड हाईड्रेण्टस:-** प्रस्तावित भवन में रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8- **ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-** सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है, तथा बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन हेतु वाटर कर्टन की व्यवस्था करानी अनिवार्य होगी।

9- **ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-** प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10- **मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11- **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-** प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

12- **स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:-** प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13- **प्रेशराइजेशन सिस्टम:-** प्रश्नगत भवन प्रेशराइजेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14- **एग्जिट साईनेज:-** सम्पूर्ण भवन एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15- **पी0ए0 सिस्टम:-** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

16- **कम्पार्टमेंटेशन:-** प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

17- **प्रशिक्षित स्टाफ:-** प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

18- **वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:-** प्रश्नगत भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सैलेरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा पार्सल न0 एस0सी0-01/सी0,ए02,ए04,ए06,ए11 एवं ए12, (स्पोर्ट सिटी) सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग (ए0टी0एस0 प्रिस्टाइन गोलफ विलाज) भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से

(पी0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक फा0 स0

30 प्र0 लखनऊ

कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी०के० राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ
संयुक्त निदेशक फा० स०
उ०प्र० लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4-मैसर्स सैलेरिटी इन्फ्राट्रेक्वर प्रा० लि० द्वारा पार्सल न० एस०सी०-01/सी०,ए०२,ए०४,ए०६,ए०११ एवं ए०१२, (स्पोर्ट सिटी) सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AC 931882

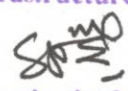
Affidavit for Water Supply
AFFIDAVIT

I S.J. Raza S/o late Sh. S.M. Hasnain R/o Flat No. G-25, Ground Floor, Block-C, Gaur Global Village Crossing Republic Ghaziabad U.P authorized signatory of **M/s. Celerity Infrastructure Pvt. Ltd.** having its registered office at 85, Ground Floor, World Trade Center, Barakhamba Lane, New Delhi-110001, developers of Group Housing/Sports City project area 129701.813 sqm, at sector-150, Noida, do hereby solemnly affirm:-

1. That my Name and Address are correct.
2. That requirement of water for construction purpose and operation of the said project, will be met from authorized private water supplying agency and till the time **New Okhla Industrial Development Authority** commences supply of water to the said project.



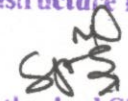
For Celerity Infrastructure Pvt. Ltd.

Deponent  Authorised Signatory

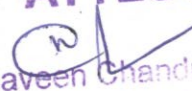
Verification:-

I, the above named deponent do verify that the facts stated above Sl. No. 1 to 2 are true to the best of my knowledge and belief.

For Celerity Infrastructure Pvt. Ltd.

Deponent  Authorised Signatory

ATTESTED


Naveen Chandra Sharma
Advocate
Dadri Noida (G.B.Nagar)

18 DEC 2015

[illegible]

MS celerity infrastructure
CBO model